भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या -2369

दिनांक 13.02.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

16 वां भारत-यूरोपीय संघ (ईयू) शिखर सम्मेलन

†2369. श्री के. सुधाकरन

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के दौरान एक मुक्त व्यापार समझौते और प्रवासन एवं गतिशीलता साझेदारी के लिए सफलतापूर्वक बातचीत संपन्न कर ली है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) इन समझौतों के लागू होने से पहले इनके "विधिक परिशोधन" और औपचारिक अनुसमर्थन के लिए विशिष्ट समय-सीमा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने यूरोपीय संघ के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म और भारतीय धातु एवं इंजीनियरिंग निर्यात पर इसके संभावित प्रभाव के संबंध में चिंताओं को दूर किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) नई सुरक्षा और रक्षा साझेदारी का, विशेष रूप से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और रक्षा औद्योगिक क्षेत्र में सह्योग के संबंध में, ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विदेश राज्य मंत्री

(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार करार (एफटीए) के लिए बातचीत का निष्कर्ष 27 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में घोषित किया गया था, जिसकी सह-अध्यक्षता, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष श्री एंटोनियो

कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष सुश्री उर्सुला वॉन डेर लेयेन द्वारा की गई थी। भारत-यूरोपीय संघ एफटीए एक आधुनिक, नियम-आधारित व्यापार साझेदारी है जो बाजार पहुंच, नियामक सहयोग और आर्थिक एकीकरण पर केंद्रित है, जबकि भारत की नीतिगत स्थान और विकासात्मक प्राथमिकताओं को संरक्षित करता है। भारत ने वस्त्र, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग आदि जैसे क्षेत्रों में एक बड़े यूरोपीय संघ बाजार में 99% से अधिक माल निर्यात के लिए वरीयता बाजार पहुंच हासिल की है।

इसके अलावा, इस शिखर सम्मेलन के दौरान गतिशीलता पर सहयोग के व्यापक फ्रेमवर्क पर एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए, जिसका उद्देश्य व्यापार और निवेश तंत्र का समर्थन करने और कुशल श्रमिकों, छात्रों, शोधकर्ताओं (डॉक्टरेट उम्मीदवारों सहित), और भारत और यूरोपीय संघ के बीच मौसमी श्रमिकों की गतिशीलता को सुविधाजनक बनाने के साथ-साथ अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना, कौशल अंतर को दूर करना, श्रम की कमी को कम करना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। इस समझौता ज्ञापन के तहत, यूरोपीय संघ भारत के साथ मिलकर एक पायलट यूरोपीय यूनियन गेटवे कार्यालय स्थापित करेगा, जो शुरू में आईसीटी क्षेत्र पर केंद्रित होगा, जो श्रमिकों, शोधकर्ताओं और छात्रों की कानूनी गतिशीलता को सुविधाजनक बनाने, यूरोपीय संघ-भारत आईसीटी अवसरों की दृश्यता बढ़ाने और योग्यता मान्यता सहित कानूनी प्रवासन मार्गों पर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए वन-स्टॉप हब के रूप में कार्य करेगा।

(ख) भारत-यूरोपीय संघ एफटीए, दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षर और अनुसमर्थन के बाद लागू होना है। प्रक्रिया दोनों पक्षों द्वारा आपसी परामर्श से आगे बढ़ाई जाएगी। गतिशीलता पर समझौता ज्ञापन पहले ही हस्ताक्षर की तारीख यानी 27 जनवरी 2026 से सात साल की अवधि के लिए लागू हो चुका है।

(ग) भारत ने भारत-यूरोपीय संघ एफटीए में कार्बन सीमा उपायों पर एक अनुबंध हासिल किया है। अनुबंध का उद्देश्य ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के प्रयासों को बढ़ाने के लिए भारत और यूरोपीय संघ के बीच सहयोग और समर्थन को मजबूत करना है। यह एक तकनीकी संवाद भी स्थापित करता है, जिसमें भारत सत्यापन और प्रत्यायन आवश्यकताओं और यूरोपीय

संघ सीबीएएम के तहत डिफ़ॉल्ट मूल्यों की स्थापना पर यूरोपीय संघ के साथ जुड़ सकता है। भारत को सीबीएएम के तहत सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र खंड के माध्यम से लचीलेपन के संदर्भ में यूरोपीय संघ द्वारा किसी भी अन्य देश को दिए जाने वाले अधिक लाभकारी उपचार भी मिलेगा।

(घ) शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षरित सुरक्षा और रक्षा साझेदारी भारत और यूरोपीय संघ के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर पहला व्यापक ढांचा समझौता है। यह समुद्री सुरक्षा, साइबर, अंतरिक्ष, हाइब्रिड, आतंकवाद का मुकाबला, अप्रसार, रक्षा उद्योग, इंडो-पैसिफिक पर परामर्श, उभरती प्रौद्योगिकियों और महत्वपूर्ण अवसंरचना संबंधित लचीलेपन सहित पारंपरिक और गैर-पारंपरिक रक्षा और सुरक्षा क्षेत्रों में भारत-यूरोपीय संघ के सहयोग को गहरा करेगा।
